


64

म/निग०/सतना/२०१७/५४१७

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल सर्किट
कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

14-30/17



- 1- यदुनाथ प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 70 वर्ष,
- 2- कमलेश प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 60 वर्ष,
- 3- शिवमोहन प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 65 वर्ष,
- 4- रामलखन ब्राम्हण उम्र 60 वर्ष
- 5- सुरेश प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 65 वर्ष,
- 6- विनोद कुमार ब्राम्हण, उम्र 50 वर्ष

सभी के पिता गोपिका प्रसाद ब्राम्हण, सभी निवासी ग्राम बरा,
तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म०प्र०)

-----निगरानीकर्तागण

बनाम

रामविश्वास कोटवार तनय श्री गणेश प्रसाद कोटवार, निवासी ग्राम बरा,
तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म०प्र०)

-----गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर
कलेक्टर जिला-सतना (म०प्र०) प्रकरण
क्रमांक-60/अपील/2016-17 यदुनाथ वगै०
बनाम रामविश्वास पारित आदेश दिनांक
26.09.2017 के विरुद्ध।

करने

निगरानी अंतर्गत धारा 7 म0प्र0 वास दखल
अधिनियम

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है—

- 1— यह कि दोनो अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 का न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-304/अ-74/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 म0प्र0 वास दखल अधिनियम 1980 विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है
- 2— यह कि रेस्पा0/गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम बरा तहसील अमरपाटन जिला-सतना म0प्र0 की आराजी नंबर 225 रकवा 0.26 एकड़ मे से 0.08 एकड़ का पट्टा म0प्र0 वास दखलाकार अधिनियम 1980 के धारा 5 के तहत दिलाये जाने हेतु म0प्र0 शासन को अनावेदक के रूप मे पक्षकार बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अमरपाटन से वस्तुस्थिति की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया। किन्तु तहसीलदार महोदय अमरपाटन वृत्त मौहारी कटरा द्वारा स्वयं अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वस्तुस्थिति की जांच नही की गयी एवं न ही कोई तथ्यात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा अपनी जांच के सम्बन्ध मे तैयार ही किया गया। क्योकि यदि तहसीलदार महोदय तहसील अमरपाटन वृत्त मौहारी कटरा द्वारा वस्तु स्थिति के सम्बन्ध मे जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाता तो प्रथम दृष्टया तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन आराजी नंबर 225 रकवा 0.26 एकड़ की जांच करने

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सतना/भूरा/2017/4817

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-5-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.09.17 के विरुद्ध निगरानी म0 प्र0 1980 के अंतर्गत धारा 7 वास दखल अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम बरा स्थित आराजी क्रमांक 225 के अंश रकवा 0.08 एकड़ में वह मकान बनाकर पुस्तैनी रूप से काबिज है इसलिये उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाय। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन मगंगकर उससे सहमत होते हुये अधिनियम 1980 के तहत अनावेदक के नाम भूमिस्वामी अधिकार स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा हल्काअन्तर्गत कोई भूमि न होना प्रतिवेदित किया गया है इशतहार का भी विधिवत प्रकाशन किया गया है। जिसे अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।</p> <p>3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.09.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा</p>	

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सतना/भूरा/2017/4817

//2//

प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य